नम्बर अहकाम हुक्म की मे जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 187 / 2022 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सवाईराम पुत्र आम्बाराम जाति गरूड़ा, निवासी भींयाड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थी — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. विप्रार्थी — तहसीलदार शिव।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 12.12.2022

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1400 / 1368 रकबा 0.8093 हैक्टेयर मौजा भींयाड़, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी भूमिपति के खेत खसरा नम्बर 1409 / 581 रकबा 75.1922 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है, भूमि मौके पर खाली है एवं रास्ते हेतु उपयोग ली जा रही है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता अपनी खातेदारी भूमि से आगे सरकारी गैर मुमकिन रास्ता होते हुए ग्राम भींयाड़ से ग्राम मौखाबकला जाने वाली डामर सड़क से जुड़ने के लिए चाहा गया है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति / प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित सभी पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी तक जाने हेतु निकटतम्, लघुतम एवं सुगम रास्ता है, जिसकी लम्बाई 67 गट्ठा एवं चौड़ाई 3 गट्ठा है, जिसमे खसरा नम्बर 1409 / 581 रकबा 75.1922 हैक्टेयर में से 0.0809 हैक्टेयर भूमि का उपयोग रास्ते हेतु लिया जायेगा। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में **प्रस्तावित नक्शा** अनुसार आवागमन हेतु रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में मौजा भींयाड़ के खसरा नम्बर 1409 / 581 रकबा 75.1922 हैक्टेयर में से 0.0809 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्तावित रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned with OKEN Scanner

के अलावा प्रार्थी को खेत में पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की खातेदारी तक पहुंचने हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम रास्ता है, जो वर्तमान में मौके पर चालु है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 3 गट्ठा व लम्बाई 67 गट्ठा होगी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता का होने तथा सबसे निकटतम, लघुतम व सुगम होने के कारण रास्ता कटान का निवेदन किया है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी उक्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा के अतिरिक्त प्रार्थी को अपनी खातेदारी तक आने जाने हेतु अन्य निकटतम् कटान रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम के सिद्धांत को मध्यनजर रखते हुए माफिक तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार कटाण रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1400/1368 रकबा 0.8093 हैक्टेयर मौजा भीयाड़, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी भूमिपति के खेत खसरा नम्बर 1409/581 रकबा 75.1922 हैक्टेयर में से 0.0809 हैक्टेयर भूमि में से तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार तहसीलदार शिव को पूर्व में रास्ता कटाण में जाने वाली कुल भूमि रकबा 0.0809 हैक्टेयर का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित **प्रस्तावित नक्शा** इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी शिव

आदेश आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner